



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227166
CG-DL-E-25052021-227166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]
No. 275]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

सा.का.नि. 341(अ).—केंद्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952(1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 में खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा अर्थात्-
“(कग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (द) में यथापरिभाषित बेंचमार्क अक्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।”

[ई.ओ. सं. 378186/2021]

राजवीर सिंह वर्मा, अपर सचिव

नोट : प्रमुख नियम दिनांक 14 फरवरी, 1956 की संख्या एस.आर.ओ. 324 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 5 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 821(अ) के तहत इसमें अंतिम संशोधन किये गये थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2021.

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Notaries Rules, 1956, in Rule 3, after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely-
“(ac) a person with benchmark disability as defined in Clause (r) of Section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), who has been practicing for at least seven years, as a legal practitioner.”

[E.O. No. 378186/2021]

RAJVEER SINGH VERMA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 821 (E), dated the 5th November, 2019.